पूंजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2013-2014	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-15
ऋण-भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां					
1.01. राज्य सरकारें					
1.01.01. सकल प्राप्तियां	7601	9395.94	9406.48	9439.64	9685.63
1.01.02. वसूलियां	7601	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-राज्य सरकारें		9395.94	8406.48	8439.64	8685.63
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)	7602	115.07	141.45	146.54	146.54
1.03. विदेशी सरकारें	7605	277.00	274.25	383.79	379.20
1.04. अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01. सकल प्राप्तियां	9001	18043.56	12231.83	14337.82	12605.82
1.04.02. वसूलियां	9001	-11564.04	-10400.01	-12505.00	-11290.00
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)		*6479.52*	*1831.82*	*1832.82*	*1315.82*
निवल-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां		*16267.53*	*10654.00*	*10802.79*	*10527.19*
2. विविध पूंजी प्राप्तियां					
2.01 विनिवेश प्राप्तियां	4000	25889.80	40000.00	16027.00	36925.00
2.02 गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्से का विनिवेश	4000	...	14000.00	3000.00	15000.00
2.03 एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000	...	1814.00	1814.00	...
2.04 अन्य	4000	...	...	5000.00	5000.00
जोड़-विविध पूंजी प्राप्तियां		*25889.80*	*55814.00*	*25841.00*	*56925.00*
जोड़ - ऋण-भिन्न प्राप्तियां		**42157.33**	**66468.00**	**36643.79**	**67452.19**
ऋण प्राप्तियां					
3. उधार					
3.01. बाजार ऋण					
3.01.01. सकल ऋण	6001	558000.00	579008.84	563910.71	597000.00
3.01.02. अदायगी	6001	-90643.52	-95008.84	-95008.84	-139678.57
निवल-बाजार ऋण		*467356.48*	*484000.00*	*468901.87*	*457321.43*
3.02. बाई-बैक/स्विचेस					
3.02.01. सकल उधार	6001	...	50000.00	30601.21	50000.00
3.02.02. अदायगी	6001	...	-50000.00	-45601.21	-50000.00
निवल बाई-बैक/स्विचेस		...	...	*-15000.00*	...
3.03 अल्पावधिक उधार					
3.03.01 14 दिवसीय हुंडिया					
3.03.01.01 सकल उधार	6001	2437545.91	2413650.00	2109774.25	2343495.00
3.03.01.02. अदायगी	6001	-2416965.94	-2413650.00	-2130450.00	-2343495.00
निवल		*20579.97*	...	*-20675.75*	...
3.03.02. 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.02.03.01. सकल उधार	6001	542925.51	592890.18	590547.94	632588.51
3.03.02.02. पुनर्भुगतान	6001	-562439.26	-573045.72	-559423.26	-618134.64
निवल		*-19513.75*	*19844.46*	*31124.68*	*14453.87*
3.03.03. 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया					
3.03.03.01. सकल उधार	6001	129434.08	130007.00	131087.56	149197.96
3.03.03.02. अदायगी	6001	-117239.25	-130007.00	-125298.91	-149197.96
निवल		*12194.83*	...	*5788.65*	...

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
3.03.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया					
3.03.04.01.	सकल उधार	6001	130470.80	130473.85	136909.26	157006.51
3.04.04.02.	अदायगी	6001	-90381.65	-130473.85	-130468.55	-136906.51
निवल			*40089.15*	*...*	*6440.71*	*20100.00*
3.03.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.05.05.01.	सकल उधार	6001	...	100000.00	107195.00	100000.00
3.03.05.02.	अदायगी	6001	...	-100000.00	-107195.00	-100000.00
निवल			...	...	...	...
3.03.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.03.06.01.	सकल उधार	6001	124648.00	500000.00	315078.00	500000.00
3.03.06.02.	अदायगी	6001	-124648.00	-500000.00	-315078.00	-500000.00
निवल			...	...	...	...
निवल - अल्पावधिक उधार			*53350.20*	*19844.46*	*22678.29*	*34553.87*
निवल - उधार			*520706.68*	*503844.46*	*476580.16*	*491875.30*
4.	***लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां***					
4.01.	प्राप्तियां	6001	9928.00	7100.00	12907.00	9531.00
4.02.	अदायगी	6001	-1302.48	-1302.48	-1302.48	-1302.48
निवल - लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां			*8625.52*	*5797.52*	*11604.52*	*8228.52*
5.	***राज्य भविष्य निधियां***					
5.01.	प्राप्तियां	8009	45919.40	44000.00	46000.00	48000.00
5.02.	संवितरण	8009	-34998.95	-34000.00	-36000.00	-36000.00
निवल - राज्य भविष्य निधियां			10920.45	10000.00	10000.00	12000.00
6.	***अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)***					
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001	12.46	...	...	...
6.01.02.	संवितरण	6001	-14.63	-32.36	-48.91	-30.84
निवल - राहत बांड			*-2.17*	*-32.36*	*-48.91*	*-30.84*
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	547.72	591.06	285.22	297.00
6.02.02.	संवितरण	6001	-5427.68	-1079.92	-552.38	-1157.71
निवल - बचत बांड			*-4879.96*	*-488.86*	*-267.16*	*-860.71*
6.03.	अन्य					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.03.02.	संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल - अन्य			...	...	...	...
6.04.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01.	प्राप्तियां	6001	6893.68	...	...	...
6.04.02.	संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल - डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)			*6893.68*	...	...	...
6.05.	अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों के अलावा लोक लेखा)					
6.05.01.	प्राप्तियां	9002	609928.45	560136.27	550209.43	591695.49
6.05.02.	संवितरण	9002	-616459.04	-544756.30	-541417.61	-577448.43
6.05.03.	घटाइए - प्राप्तियां	9002	...	...	...	...
निवल - अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों से भिन्न लोक लेखा)			*-6530.59*	*15379.97*	*8791.82*	*14247.06*
6.06.	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं					
6.06.01.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.06.01.01.	प्राप्तियां	6001	4005.04	42000.01	192.79	500.01

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2013-2014	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-15
6.06.01.02.	अदायगी	6001	-1675.00	-2514.98	-2514.98	-2514.98
6.06.01.03.	घटाइए - निवल प्राप्तियां	6001	-4155.00	-42149.18	-424.11	-2282.82
निवल			*-1824.96*	*-2664.15*	*-2746.30*	*-4297.79*
6.06.02.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	1606.50
6.06.02.02.	अदायगी	6001	...	...	...	...
निवल			*...*	*...*	*...*	*1606.50*
6.06.03.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.03.02.	अदायगी	6001	...	...	...	...
निवल			*...*	*...*	*...*	*...*
6.06.04.	एशियाई विकास बैंक					
6.06.04.01.	प्राप्तियां	6001	143.76	147.00	230.00	175.00
6.06.04.02.	अदायगी	6001	-30.50	-29.59	-29.60	-29.60
निवल			*113.26*	*117.41*	*200.40*	*145.40*
6.06.05.	अफ्रीकी विकास कोष एवं बैंक					
6.06.05.01.	प्राप्तियां	6001	24.22	2.16	1.32	1.32
6.06.05.02.	अदायगी	6001	-16.97	-17.63	-17.63	-17.63
निवल			*7.25*	*-15.47*	*-16.31*	*-16.31*
निवल - अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं			*-1704.45*	*-2562.21*	*-2562.21*	*-2562.20*
निवल - अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)			*-6223.49*	*12296.54*	*5913.54*	*10793.31*
7.	***विदेशी ऋण***					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	3269.17	3516.25	3060.00	4141.20
7.01.01.02.	अदायगी	6002	-2993.46	-3341.06	-3672.28	-4160.22
निवल			*275.71*	*175.19*	*-612.28*	*-19.02*
7.01.02.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	5553.31	4834.34	6772.32	6147.27
7.01.02.02.	अदायगी	6002	-5074.90	-5382.22	-5885.75	-8279.94
निवल			*478.41*	*-547.88*	*886.57*	*-2132.67*
7.01.03.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	146.99	215.00	209.52	209.00
7.01.03.02.	अदायगी	6002	-59.91	-64.52	-69.33	-81.74
निवल			*87.08*	*150.48*	*140.19*	*127.26*
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	4634.52	6546.82	4417.81	6129.53
7.01.04.02.	अदायगी	6002	-1535.99	-1846.32	-2028.53	-2126.42
निवल			*3098.53*	*4700.50*	*2389.28*	*4003.11*
7.01.05.	पूर्वी यूरोप समुदाय (सैक)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02.	अदायगी	6002	-7.88	-8.19	-8.73	-9.39
निवल			*-7.88*	*-8.19*	*-8.73*	*-9.39*
7.01.06.	पैट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
7.01.06.01. प्राप्तियां	6002	20.82	20.00	40.00	50.00
7.01.06.02. अदायगी	6002	-10.10	-15.49	-17.36	-18.54
निवल		*10.72*	*4.51*	*22.64*	*31.46*
निवल - बहुपक्षीय		*3942.57*	*4474.61*	*2817.67*	*2000.75*
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	443.03	996.01	908.54	565.05
7.02.01.02. अदायगी	6002	-900.78	-1005.43	-1149.96	-1282.70
निवल		*-457.75*	*-9.42*	*-241.42*	*-717.65*
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	150.10	30.00	894.50	17.00
7.02.02.02. अदायगी	6002	-227.28	-197.70	-225.48	-379.86
निवल		*-77.18*	*-167.70*	*669.02*	*-362.86*
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.03.02. अदायगी	6002	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	7912.41	11463.75	7244.06	10893.99
7.02.04.02. अदायगी	6002	-4115.70	-4187.52	-3910.36	-4262.12
निवल		*3796.71*	*7276.23*	*3333.70*	*6631.87*
7.02.05. स्विटजरलैण्ड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. अदायगी	6002	-4.37	-4.31	-4.83	-19.91
निवल		*-4.37*	*-4.31*	*-4.83*	*-19.91*
7.02.06. यू.एस.ए.					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.06.02. अदायगी	6002	-152.17	-155.74	-174.42	-979.96
निवल		*-152.17*	*-155.74*	*-174.42*	*-979.96*
7.02.07. रुसी फेडेरेशन					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	1178.44	24.10	18.00	22.00
7.02.07.02. अदायगी	6002	-1025.05	-877.67	-977.23	-840.46
निवल		*153.39*	*-853.57*	*-959.23*	*-818.46*
निवल - द्विपक्षीय		*3258.63*	*6085.49*	*2622.82*	*3733.03*
निवल - विदेशी ऋण		*7201.20*	*10560.10*	*5440.49*	*5733.78*
जोड़ - ऋण प्राप्तियां		**541230.36**	**542498.62**	**509538.71**	**528630.91**
8. नकद शेष की आहरण द्वारा कमी					
8.01. प्राप्तियां	9003	...	...	15000.00	...
8.02. संवितरण	9003	-50632.81	...	...	...
निवल - नकद शेष की आहरण द्वारा कमी		*-50632.81*	...	*15000.00*	...
9. बाजार स्थिरीकरण स्कीम					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	...	20000.00
9.02. अदायगी	6001	...	...	...	...
निवल - बाजार स्थिरीकरण स्कीम		...	*20000.00*	...	*20000.00*
कुल जोड़		***532754.88***	***628966.62***	***561182.50***	***616083.10***

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2013-14 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियांः राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2013-14 में ₹8439.64 करोड़ तथा ब.अ. 2014-15 में ₹8685.63 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2013-14 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) से वसूलियांः ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्य द्वारा अदायगीः इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : सं.अ. 2013-14 में, हिदुस्तान कॉपर लि. (एचसीएल), भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. (आईटीडीसी), धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि. (एमएमटीसी), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एनएफएल), नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन लि. (एनसीएल), राज्य व्यापार निगम लि. (एसटीसी), पावर ग्रिड कोरपोरेशन (पीजीसीआईएल), एन.एच.पी.सी. लि., इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल), इंजीनिर्यस इंडिया लि. (आईआईएल), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. (बीएचईएल), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचए.एल.) नामक केन्द्रीय सरकारी पर्बलिक उद्यमों में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण 16,027 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं। गैर अनुपालन वाली सभी सीपीएसईएस सेबी के शेयरधारिता मानकों के अनुरूप अनुपालनयुक्त बना दिए गए हैं।

सीपीएसईएस विनिमय व्यापार कोष (सीपीएसई ईटीएफ) भी आरम्भ किया गया है ताकि इन सीपीएसई में वित्त वर्ष 2013-14 में ईटीएफ वॉस्केट के भाग के रुप में शेयरधारिता को मौद्रिक रुप दिया जा सके।

सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले .... को चैनलाइज किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2014-15 में पूजीं व्यय के संबंध में इनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुर्नपूंजीकरण तथा भारतीय रेल में निवेश के लिए किया जाएगा। इसके एवज में प्राप्त अन्य प्राप्तियों को एसडीआर के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तरित कर दिया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जारी किए जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों के संशोधित अनुमान, सरकारी स्टॉक 2014-15 से ₹95008.84 करोड़ की राशि की अदायगी और ₹15000.00 करोड़ की दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को हिसाब में लेकर, ₹453901.87 करोड़ है। ₹15000.00 करोड़ की वापसी खरीद के अतिरिक्त सरकार ने दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के चलते 2014-15 और 2015-16 में परिपक्व हो रही ₹30601.21 करोड़ की प्रतिभूतियां भी पुनव्यवस्थित की है। सकल बाजार उधार का संशोधित अनुमान ₹563910.71 करोड़ पर स्थिर किया है।

वर्ष 2014-15 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करके केन्द्र सरकार के निवल बाजार उधारों का अनुमान ₹461204.67 करोड़ है। 2014-15 के बजट अनुमान में ₹138795.33 करोड़ की अनुसूचित अदायगी को हिसाब में लेते हुए, ₹600000 करोड़ रखी गई है। बेहतर ऋण प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की पुनःखरीद/पुनव्यस्थित हेतु 50,000.00 करोड़ का प्रावधान भी किया जा रहा है। 2014-15 में अदायगियों का ब्यौरा अनुबंध-13 में दिया गया हैं। विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.02 अल्पावधिक उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलैन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुडियां भी जारी करती है।

3.02.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां जारी किए गए गैर-मानक, बट्टा लिखत हैं, 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए, और जब आवश्यक हो, तब जारी की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय लघु बचत निधिः लघु बचत योजनाएंः इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैंः डाकघर बचत खाता, डाकघर सवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IXनिर्गम) तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की जी-सेक दरों के, दो अपवादों के साथ 25 आधार बिंदुओं (बीपीएस) के स्प्रैड के साथ, समनुरुप कर दी गई है। 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नयी लिखत) का स्प्रैड 50 बीपीएस और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें उस वर्ष की पहली अप्रैल से पहले अधिसूचित की जाएंगी।

4.01 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अधीन, वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्तमान में, केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई स्थगन काल नहीं है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। इन प्रतिभूतियों के उन्मोचन को एनएसएसएफ में ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुर्ननिवेशित किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग (एफसी XIII) की सिफारिशों के अनुसार, उन राज्यों को अपने संबंधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर अनंतिम राहत दी गई है। 2006-07 तक संविदा करने वाले राज्यों को दिए गए ऋणों पर और 2009-10 के अंत तक बकाया ऋणों ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उन राज्यों द्वारा एमआरबीएम अधिनियम के संशोधन/लागू होने की तारीख से, 9 प्रतिशत पर पुनःनिर्धारित किया गया है। 2012-13 से, राज्य अपने बजट अनुमानों में यथा परिलक्षित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के साथ ही राज्य अस्थायी राहत के पात्र होंगे यदि कोई राज्य, ब्याज राहत प्राप्त करने के बाद, वास्तव में एफआरबीएम से विचलन करता है (वित्तीय लेखाओं के अनुसार), तो एनएसएसएफ ऋणों पर घटाए गयी ब्याज असुविधा को वापस ले लिया जाएगा और पहली ब्याज दर फिर से लागू हो जाएगी। राज्य द्वारा प्राप्त अधिक ब्याज राहत को अगले वर्ष वसूल कर लिया जाएगा। जब कभी कोई राज्य अपने एफआरबीएम अधिनियम लक्ष्यों का पुनःपालन करता है तो वह 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर लौट सकेगा।

निधि के अन्तर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत व्यय में शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि से होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा उपयोजन अनुबंध 7क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा अनुबंध 7ख में दिया गया है।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। इन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा जो छमाही संदेय होगा। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं। इन बांडों को जारी करने की तारीख से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम लांकिग पीरियड के पश्चात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह वाले निवेशक के लिए, भारत सरकार की तारीख 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना .... परिपक्वता अवधि पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गयी हैः

(क) 60 से 70 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक-इनपीरियज, बांड जारी करने का तारीख से 5 वर्ष होगी;

(ख) 70 से 80 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक इनपीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 4 वर्ष होगी; और

(ग) 30 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से तीन वर्ष होगी।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को, किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बॉन्डों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां :

रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षो के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2013-14 में निधि में ₹24015.65 करोड़ की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में ₹0.65 करोड़ शामिल था। निधि से ₹24000 करोड़ के आहरण का अनुमान है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस निधि में ₹1.43 करोड़ के ब्याज सहित ₹28866.43 करोड़ की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में ₹28850 करोड़ की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधिः* इस निधि में सुधारात्मक कार्यो सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2013-14 में सामान्य राजस्व से ₹0.75 करोड़ के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान ₹6700.75 करोड़ का होगा। 2013-14 में निधि से ₹6689.46 करोड़ के व्यय का अनुमान है। 2014-2015 में, ₹7051.55 करोड़ का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें ब्याज के मद में ₹1.55 करोड़ शामिल है। ₹7030.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यो का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन

की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यो के खर्चो को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। 2013-14 में, रेलवे विकास निधि में ₹2873.76 करोड़ के क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें निधि के शेष पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ₹198.76 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। वर्ष 2013-14 के दौरान निधि के प्रभार्य कार्यों के लिए ₹2674.54 करोड़ की निकासियों का अनुमान लगाया गया है। 2014-15 के दौरान, इस निधि में ₹400.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज के लिए ₹100.10 करोड़ शामिल है। 2014-15 के दौरान ₹2850.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* इसे 1992-93 में इसलिए सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। 2013-14 में इस निधि की क्रेडिट ₹2.13 करोड़ अनुमानित है। जो कोष में शेष पर उपचित ब्याज प्रतिबिंबित करता है, जबकि 2013-14 में इस निधि से कोई व्यय नहीं होगा। 2014-15 में इस कोष में शेष पर उपचित होने वाले ₹7.25 करोड़ के अनुमानित ब्याज सहित ₹5669.99 करोड़ क्रेडिट किए जाएंगे जबकि आहरण ₹5462 करोड़ अनुमानित है।

(ङ) **ऋण शोधन निधिः** इस निधि को 2013-14 से सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य लिए गए ऋणों के लिए ऋण शोधन भुगतान, भावी वेतन आयोग/पुरस्कारों आदि जैसी भविष्य की वचनबद्ध देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करना है। जब भी ये देयताएं देय होंगी, तो इस निधि से निकासी की जाएगी। 2013-14 में इस निधि में ₹5399.65 करोड़ रुपए के अंशदान का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर सामान्य राजस्व से देय ₹131.70 करोड़ का ब्याज शामिल होगा। 2014-15 में, इस निधि में ₹373.51 करोड़ जमा होगा जिसमें निधि शेष में प्रोदभूत होने वाले अनुमानित ₹272.51 करोड़ का ब्याज शामिल होगा जबकि इस निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

(च) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रांसिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाता है। यह निर्ब्याज निधि है। इस निधि में 2013-2014 में जमा राशि ₹1104.61 करोड़ रखी गई है। जबकि निधि से ₹2000.00 करोड़ के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2014-15 में ₹1498.61 करोड़ का क्रेडिट तथा ₹2200.00 करोड़ के आहरण का अनुमान है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा ₹5821.50 मिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) है अर्थात 2.44 प्रतिशत की शेयरधारिता है। वोटिंग हिस्से के आधार पर भारत का स्थान (अपने चुनाव क्षेत्र के देशों जैसे, बंग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ मिलाकर) 24 चुनाव क्षेत्रों की सूची में 17वां है।

आईएमएफ सदस्यों को कोटे की समीक्षा पांच वर्ष में एक बार करता है, और ऐसी पिछली समीक्षा दिसम्बर, 2010 में की गई थी। भारत ने 2010 की समीक्षा के तहत-अपनी कोटा वृद्धि की सहमति पहले ही दे दी है और 2010 की कोटा समीक्षा के पश्चात हमारे कोटे का हिस्सा वर्तमान के 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो जाएगा और भारत आईएमएफ में सर्वाधिक कोटा वाले देशों में पिछले 11वें स्थान से बढ़कर आठवां देश बन जाएगा। सापेक्ष दृष्टि से भारत का कोटा 5,821.5 मिलियन एसडीआर से बढ़कर 13,114.4 मिलियन एसडीआर हो जाएगा जहां कोटा वृद्धि के 25 प्रतिशत का भुगतान नकद (प्रारक्षित मुद्रा) किया जाएगा और 75 प्रतिशत का प्रतिभूतियों में भुगतान किया जाएगा। ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित ब्याज रहित नोट खरीद करार है जिनका नकदीकरण आईएमएफ द्वारा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। जब तक आईएमएफ इन नोटों के किसी भाग के नकदीकरण हेतु भारत से अनुरोध नहीं करेगा, इसमें नकद व्यय नहीं होगा। कोटों के प्रारक्षित परिसंपत्ति भाग को देश के प्रारक्षित भंडार के रुप में माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उधार व्यवस्थाओं में भारत का अंशदानः कोष उधार व्यवस्थाओं के जरिए अपने कोटा संसाधनों को अस्थायी रुप से पूरा भी करता है। जुलाई, 2010 में भारत ने उधार की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के लिए अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की वचनबद्धता की थी जिसमें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पिछले नोट अथवा प्रतिभूतियां थी और वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आहरित की जा सकती है जब उनकी आपात निधियों में जरुरत हो। 2010 कोटा वृद्धि के प्रभाव में आने के बाद, हमारी एनएबी वचनबद्धता लगभग 7.0 बिलियन अमरीकी डालर तक कम हो जाने की आशा है। ये नोट नकद खर्च को तब तक प्रदर्शित नहीं करते जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से नहीं कहता। ये उधार भारत की आरक्षित निधियों के भाग के रुप में माना जाता है।

चल रहे यूरो क्षेत्र संकट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकट को रोकने तथा संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों को वित्तीय आवश्यकताओं के सामर्थ्य को पूरा करने के लिए एक नए द्विपक्षीय उधार कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। 37 सदस्यों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटे का 3/5 भाग प्रदर्शित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को 456 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए अंशदानों की शपथ ली है। 19 जून, 2012 को आयोजित जी-20 के लोस काबोस सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों ने अपने अंशदानों की घोषणा की जिसमें भारत, ब्राजील तथा रुस प्रत्येक के 10 बिलियन अमरीकी डालर और चीन के 43 बिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं।

आईएमएफ ने यह वचनबद्धता दी है कि ये नए संसाधन केवल तभी आहरित किए जाएंगे यदि कोटे में से पहले से उपलब्ध संसाधनों और विद्यमान उधार व्यवस्थाओं

के पर्याप्त रुप से उपयोग के बाद उनकी रक्षा की दूसरी पंक्ति के रुप में जरुरत है। यदि आहरित कर लिए जाते हैं, तो उनका ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कोटे संसाधन कोष वित्त के मूल स्रोत रहेगें तथा उधार की भूमिका कोटा संसाधनों को अस्थायी रुप से पूरा करने की है।

नया उधार कार्यक्रम सदस्य देशों द्वारा वचनपत्रों के जारी करने पर आधारित है जो इन देशों की प्रतिभूतियां हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपेक्षा करने पर भुनाई नहीं सकती। ये नोट खरीद संबंधी करार विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) में मूल्यवर्गित हैं और जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रतिभूतियों के हिस्से को भुनाने की मांग नहीं की जाती, ये नकद/दुर्लभ मुद्रा का कोई खर्च नहीं करते। इसके अतिरिक्त, नोट जारी करने वाले देश की आरक्षित निधियों के भाग के रुप में माने गए हैं, और इस प्रकार ये जारीकर्ता की अपेक्षित निधियों की जमा राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालते।

वित्तीय लेन-देन योजनाएं (एफटीपी): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेन-देन योजना वह तंत्र है जिसके जरिए कोष सामान्य संसाधन लेखे में अपने सदस्यों को अपने उधार तथा भुगतान प्रचालनों के लिए वित्त पोषण करता है। कोष के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपने कोटे के अनुरुप सीमाओं तक उधार ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा तथा एसडीआर-दोनों में उधार देता है। विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उपलब्ध कराए गए कोटा संसाधनों में से वित्तपोषित किया जाता है। जब एसडीआर में ऋण प्रदान किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सामान्य संसाधन लेखे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी जमाराशियों से आहरण करके उधार लेने वाले सदस्यों को सीधे आरक्षित परिसंपत्तियों का अंतरण करता है।

अंतराष्ट्रीय मुद्रा-कोष कार्यकारी बोर्ड ने 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वित्तीय लेन-देन योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस एफटीपी (कोटा संसाधन) अवधि के दौरान अधिकतम अंतरण (खरीद) और प्राप्तियां (पुनःखरीद) एसडीआर 57.1 करोड़ और 10.00 करोड़ हैं। एफटीपी में कारगर भागीदारी ने भारत को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋणदाता सदस्य बनाया है। इसके अंतर्गत भारत को एफटीपी के अंतर्गत खरीदने (क्रेडिट निर्गम) या पुनःखरीद (हमारे ऋण लेनदार द्वारा ऋण शोधन) के लिए कहा जा सकता है। एफटीपी में भागीदारी करके भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दुलर्भ मुद्रा हेतु हमारे कोटा अंशदान के भाग के रुप में इसकी रुपये की धारिता का नकदीकरण करने के लिए अनुमत करता हैं, तब इसे अन्य सदस्य देशों को ऋण दिया जाता है जो आईएमएफ के ऋणी है। जबकि एफटीपी में भागीदारी भारत को आईएमएफ में इसकी वर्धित क्रेडिट ट्रांश स्थिति पर अतिरिक्त ब्याज कमाने की अनुमति देता है, ब्याज रहित रुपए प्रतिभूतियों के नकदीकरण से उधार की लागत अधिक हो सकती है तथा राजकोषीय स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय लिया गया है कि आईएमएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों का प्रतिस्थापन भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाने वाली ब्याज रहित, गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों से किया जाए।

6.06.02 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ सं.अ. 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

6.06.03 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): सं.अ. 2013-14 और ब.अ. 2014-15 में आईडीए को कोई भुगतान करने पर विचार नहीं किया गया है।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2013-14 और संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹29.60 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। बजट अनुमान 2014-2015 में ₹29.60 करोड़ का ही प्रावधान रखा गया है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): एएफडीएफ और एएफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई है कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु निधि तथा बैंक दोनो में प्रवेश किया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2014-15 में सकल प्राप्तियां ₹28175.04 करोड़ और वापसी अदायगी ₹22441.26 करोड़ आंकी गई है। इसके फलस्वरुप निवल विदेशी ऋण ₹5733.78 करोड़ होगा।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2014-15 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹2000.75 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2014-15 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रुसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹3733.03 करोड़ रहने का अनुमान है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रुप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाते में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2014-15 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹20,000 करोड़ होने का अनुमान है।